संख्या- 77/2026//001-930-23-12-2026-1796824

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में ए0डी0बी0 योजना के 01 चालू कार्य पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियनता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-23473/CE-HQ1/ADB/WB/2026-27 दिनांक 03-07-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में एशियन विकास बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत एवं अधोतालिका में अंकित 01 चालू कार्यों हेतु कुल रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत मूल लागत	अब तक आवंटन	क्षेत्र से प्राप्त मांग	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाहय सहायतित परियोजना खण्ड लो0नि0वि0 बस्ती	एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कप्तानगंज-नौरंगिया (ओडी0आर0-24) के चैनेज 0.000 कि0मी0 से 24.040 एवं कप्तानगंज हाटा-गौरीबाजार-बरहज-रूद्रपुर(एम0डी0आर0-25ई) के चैनेज 0.000 से 57.400 कि0मी0 एवं रूद्रपुर बाईपास 3.75 कि0मी0 (कुल लम्बाई 84.274 कि0मी0) एम0डी0आर0-25 ई0 में आर0ओ0बी0 की लम्बाई 0.92 कि0मी0 घटाते हुए) तक के अपग्रेडेशन एवं निर्माण का कार्य। 37555	40/2018/1186/23-12-18-1860/2016, दिनांक-08.06.2018	38464.20	37929.82	250.00	**250.00**

<u>नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों</u>

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित चालू कार्यों पर धनराशि की मांग हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से मार्ग निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निर्माणाधीन मार्गों के अद्यतन फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराया जाय।

(5) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) प्रकरण में अन्य प्रर्वतीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्त तालिका में अंकित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष /मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(11) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र शासन एवं एशियन विकास बैंक को प्रेषित किया जाय।

(13) उपरोक्त उल्लिखित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा उसका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) **विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि दिनांक 15/3/2019 तथा 31/3/2023 को सरेंडर की गयी धनराशि का सत्यापन कोषागार प्रमाण पत्र से करने के पश्चात ही आबंटित धनराशि को व्यय किया जाय।**

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,000 (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054053379706 एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ0प्र0 जिला सड़क परियोजना के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव

<u>संख्या-77/2026/001-930(1)-23-12-2026-1796824 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/वाहय सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल,नवीन भवन सचिवालय,उत्तर प्रदेश शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शेषनाथ)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।